—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 34/2018

उनवान

1. हनुमान पुत्र रतना
2. भंवरी पत्नी रामस्वरूप
3. आनन्दीलाल पुत्र रामस्वरूप
4. गिरीराज पुत्र रामस्वरूप समस्त जाति खाती निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद

——वादीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. किशना पुत्र मोहन
2. विष्णु पुत्र मोहन समस्त जाति खाती निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
3. किशनी पत्नी नन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
4 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 1.10.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानुपरा के वंर्किग खसरा नम्बर 619 हाल खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.14 की आराजी वादीगण की पुश्तेनी खातेदारी की है। तथा ग्राम कानपुा के वंर्किग खसरा नम्बर 624 मिन हाल खसरा नम्बर 1180 रक़बा 0.27 की आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। राजस्व मानचित्र में वादीगण के खेत व प्रतिवादीगण के खेत में करीबन 4—5 खेतों का अन्तराल है। भू प्रबन्ध विभाग ने हाल राजस्व मानचित्र बनाते समय वंर्किग खसरा नम्बर 619 के स्थान पर हाल खसरा नम्बर 1186 अंकित करने के स्थान पर सहवन से खसरा नम्बर 1186 के स्थान पर प्रतिवादीगण का खेत हाल खसरा नम्बर 1180 अंकित कर दिया। हाल राजस्व मानचित्र में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण वादीगण का हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम चला गया है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा को प्रतिवादी संख्या 3 को बेचान करने पर आमादा है। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण वादीगण [illegible] आराजी को हडपने के लिये आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र [illegible] अनुसार दुरूस्त कर प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पांबंद [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:27 IST
Reason: SelfAttested

—2

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का जवाब बंद किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.14 वादीगण की खातेदारी में है। हाल खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.27 व 1178 रकबा 0.08 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में है। हाल खसरा नम्बर 1186 के वंर्किग खसरा नम्बर 619 व हाल खसरा नम्बर 1180 व 1178 के वंकिग खसरा नम्बर 624 है। वंर्किग राजस्व मानचित्र में वादीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 619 व प्रतिवादीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 624 के बीच में अन्य खसरा नम्बर नही है। अर्थात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी आपस में लगती हुयी नही है। हाल राजस्व मानचित्र में वादीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 1186 के उत्तर दिशा में लगते हुये प्रतिवादी के हाल खसरा नम्बर 1180 को अंकित कर दिया तथा प्रतिवादी के अन्य खातेदारी खसरा नम्बर 1178 को वंर्किग खसरा नम्बर 624 के स्थान पर अंकित कर दिया जबकि प्रतिवादी के वंर्किग खसरा नमबर 624 के हाल खसरा नम्बर 1178 व 1180 को एक साथ ही वंर्किग खसरा नमबर 624 के स्थान पर अंकित करना चाहिये था। वंर्किग खसरा नमबर 619 जो कि वादीगण की खातेदारी था के हाल खसरा नम्बर 1186 के साथ त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी खसरा नम्बर 1180 भी अंकित कर दिया। प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन में कोई जवाब पेश नही किया है। आराजी मुतनाजा के वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन व तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया हैं आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र को दुरूस्त करने से खातेदारी अधिकार व भूमि के रकबे पर कोई परिवर्तन नही होना है। राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 1186, 1180, व 1178 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हनुमान बनाम किशना

दावा बाबत :– 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 34/2018
पेश करने की दिनांक – 20.03.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाला माली मुद्दई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नम्बर 1186, 1180, व 1178 के हाल व वर्किंग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक– – – को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक / माह / सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:43:27 IST
Reason: SelfAttested